भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 2715

दिनांक 04 अगस्त, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

मानसिक रोगों के लिए अस्पताल/पुनर्वास केंद्र

2715. डॉ. के. जयकुमार:

क्या स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क) क्या सॉफ्टवेयर कारोबार में तेजी के साथ बदलती जीवन शैली के कारण मानसिक रोगों से प्रभावित होने वाले लोगों की संख्या में वृद्धि हुई है;
(ख) यदि हां, तो विगत पांच वर्षों के दौरान अप्रैल, 2022 तक ऐसी बीमारियों से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या कितनी है;
(ग) भावी पीढ़ी को ऐसी बीमारियों से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं,
(घ) क्या सरकार ने देश में ऐसे रोगियों की देखभाल के लिए अस्पतालों/पुनर्वास केन्द्रों की स्थापना की है; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री (प्रो.एस.पी.सिंह बघेल)

(क) से (ङ): सरकार ने वर्ष 2016 में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और स्नायु विज्ञान संस्थान (निम्हांस), बैंगलुरू के माध्यम से भारत में राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य सर्वेक्षण (एनएमएचएस) किया जिसके अनुसार 18 वर्ष से अधिक आयु के वयस्कों में मानसिक विकारों की व्याप्तता लगभग 10.6% है। कई कारकों (तेज रफ्तार जीवनशैली, तनाव, जीवन की जटिलताएं, सहायता प्रणालियों का ठप हो जाना, आर्थिक अस्थिरता की चुनौतियां) के चलते शहरी महानगरों में मनोदशा संबंधी विकारों (5.6%) और न्यूरोटिक अथवा तनाव संबंधी विकारों (6.93%) की व्यापकता ग्रामीण और शहरी गैर महानगरीय क्षेत्रों की तुलना में 2-3 गुणा अधिक है।

मानसिक बीमारियों के बारे में जनता के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए सूचना, शिक्षा और संचार (आईईसी) कार्यकलाप एनएमएचपी का एक अभिन्न अंग हैं। जिला स्तर पर सामुदायिक भागीदारी के साथ

समुदाय, स्कूलों, कार्यस्थलों में आईईसी और जागरूकता सृजन कार्यकलापों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के गैर-संचारी रोग फ्लेक्सी-पूल के अंतर्गत डीएमएचपी के अंतर्गत प्रत्येक जिले को पर्याप्त निधियां प्रदान की जाती हैं। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा डीएमएचपी के अंतर्गत विभिन्न आईईसी कार्यकलाप किए जाते हैं जैसे स्थानीय समाचार पत्रों और रेडियो में जागरूकता संदेश, नुक्कड़ नाटक, दीवारों पर पेंटिंग आदि शामिल हैं।

देश में वहनीय और सुलभ मानसिक स्वास्थ्य परिचर्या सुविधाएं प्रदान करने के लिए सरकार राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (एनएमएचपी) कार्यान्वित कर रही है। एनएमएचपी के जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (डीएमएचपी) घटक को 738 जिलों में कार्यान्वयन के लिए मंजूरी दी गई है जिसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के माध्यम से राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सहायता प्रदान की जाती है। डीएमएचपी के अंतर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र (सीएचसी) और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) स्तरों पर उपलब्ध कराई गई सुविधाओं में बहिरंग रोगी सेवाएं, मूल्यांकन, परामर्श/मनो-सामाजिक कार्यकलाप, गंभीर मानसिक विकारों वाले व्यक्तियों की निरंतर देखभाल और सहायता, औषधियां, आउटरीच सेवाएं, एम्बुलेंस सेवाएं आदि शामिल हैं। उपर्युक्त सेवाओं के अतिरिक्त, जिला स्तर पर 10 बिस्तरों वाले अतरंग रोगी स्वास्थ्य केंद्र का प्रावधान भी है।

एनएमएचपी के विशिष्ट परिचर्या घटक के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में स्नातकोत्तर विभागों में छात्रों की संख्या बढ़ाने के साथ-साथ विशिष्ट उपचार सुविधाएं प्रदान करने के लिए 25 उत्कृष्टता केन्द्र स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, सरकार ने मानसिक स्वास्थ्य विशिष्टताओं में 47 स्नातकोत्तर विभागों को सुदृढ़ करने के लिए 19 सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थाओं को भी सहायता प्रदान की है। 22 अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों के लिए मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं का भी प्रावधान किया गया है। ये सेवाएं पीएमजेएवाई के तहत भी उपलब्ध हैं।

उपर्युक्त के अलावा, आयुष्मान भारत-एचडब्ल्यूसी स्कीम के अंतर्गत व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य परिचर्या के अंतर्गत सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को जोड़ा गया है। आयुष्मान भारत के दायरे में स्वास्थ्य और आरोग्य केंद्रों (एचडब्ल्यूसी) में मानसिक, न्यूरोलॉजिकल और मादक द्रव्यों के उपयोग संबंधी विकारों (एमएनएस) पर प्रचालन दिशानिर्देश जारी किए गए हैं।

उपर्युक्त के अलावा, सरकार ने देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल सेवाओं तक पहुंच में सुधार करने के लिए 10 अक्टूबर, 2022 को "राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम" शुरू किया है। दिनांक 18.07.2023 तक, 31 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने 42 टेली मानस सेल स्थापित किए हैं और टेली मेंटल हेल्थ सेवाएं शुरू की हैं। हेल्पलाइन नंबर पर 1,94,000 से अधिक कॉल अटेंड़ की गई हैं।

****